Regarding need to provide adequate pension/family pension under NPS-Laid

श्रीमती भारती पारधी **(बालाघाट) :** मैं सरकार के समक्ष राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय मुद्दे को प्रस्तुत करना चाहती हूँअल्प-सेवा अवधि में दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों तथा कम कॉर्पस वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन की आवश्यकता । आज NPS लाखों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का आधार है, परंतु सेवाकाल में प्रारंभिक वर्षों में मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी के खाते में बहुत कम कॉर्पस जमा हो पाता है । परिणामस्वरूप 80% राशि से खरीदी जाने वाली एन्युटी आश्रित परिवार को मात्र ₹2,500₹3,000 मासिक पेंशन देती हैजो किसी भी परिवार के लिए जीवन-यापन योग्य नहीं है । यही समस्या कम कॉर्पस वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी झेलनी पड़ती है । अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि पहला, सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को OPS के समकक्ष न्यूनतम पारिवारिक पेंशन, कम से कम ₹12,000 से ₹15,000, सुनिश्चित की जाए । दूसरा, NPS के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी न्यूनतम मासिक पेंशन अनिवार्य रूप से लागू की जाए । यह केवल आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रश्न है । सरकार को इस विसंगति को शीघ्र दूर करना चाहिए ।